संख्याः /XVII–3/2010–60(स0क0)/03(टी0सी0

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक ०| ,अक्टूबर 2010

विषयः–पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, नोडल अधिकारी, 15–सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, देहरादून के पत्रांकः–1076/रा015सू0का0स0/बजट–आवंटन/2010–11 दिनांक 20 सितम्बर, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन पर व्यय मद से संबंधित अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष मे प्राविधानित धनराशि में से ₹ **10.00 लाख (₹ दस लाख मात्र)** की धनराशि को वित्त विभाग के उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः–187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा।
2. उक्त मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
4. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
8. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
9. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
12. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2250–अन्य सामजिक सेवायें,–00–800–अन्य व्यय, 09–पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय–00 के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्याः–525(P)/XXVII(1)/2010 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1213 **(1)/XVII-3/10-60(S.K.)/03(T.C) तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढवाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हल्द्वानी/देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. नोडल अधिकारी, पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादू
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)
अनु सचिव।

01306